सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0

7वां तल पी.सी.एफ. भवन, 32–स्टेशन रोड, लखनऊ–226001

Ph. No.: 0522-2630877, Fax No.:0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 387/सो.आ.नि.–271/2017

दिनाँकः 26 अक्टूबर, 2018

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट, उ0प्र0

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

सेवा में,

समस्त जिला विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः सोशल आडिट संगठन में संविदा/आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबन्ध अधिनियम, 1952 (EPF & MP Act, 1952) के अन्तर्गत ई0पी0एफ0 कार्यालय को आधार, पैन नं0, मोबाइल नं0 तथा बैंक विवरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके जनपद के जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबन्ध अधिनियम, 1952 (EPF & MP Act, 1952) के अन्तर्गत कार्मिकों का आधार नं0 पैन कार्ड नं0, मोबाइल नं0 एवं बैंक विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। ई0पी0एफ0 कार्यालय की वेबसाइट पर उक्त विवरण अपलोड न करने के कारण ई0पी0एफ0 कार्यालय द्वारा **SHOW CAUSE NOTICE** नोटिस प्राप्त हुई है जिसके अन्तर्गत दिनाँक 29–10–2018 तक उक्त **KYC** पूर्ण करनी है अन्यथा की स्थिति में अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा नियोक्ता अंश भी दिए जाने में बाधा होगी जिसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की होगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में ई0पी0एफ0ओ0 की वेबसाइट **https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface** पर उपरोक्त सूचना अपलोड कराते हुए निम्नलिखित प्रारूप पर (**doc file** में) सूचना दिनाँक 29.10.2018 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Sr. No.	UAN	MEMBER_NAME	AADHAAR	PAN	BANK			MOBILE
					Account No.	IFSC Code	Bank Branch	

उपरोक्त प्रारूप पर सूचना हेतु एक कर्मचारी/DSAC को निर्धारित तिथि 29–10–2018 तक उपलब्ध कराने हेतु नामित करते हुए उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी निर्धारित करना चाहें।

भवदीय

(राजवर्धन)
निदेशक

G:/LP//Letter/16-17